अत्यावश्यक
एन.डी.पी.एस. मामला

पी0सी0एच0–एच0ए0 (2) 5/2008–दिशा–निर्देश– 26999-7242
हिमाचल प्रदेश सरकार
पंचायती राज विभाग।

प्रेषक

प्रधान सचिव (पंचायती राज)
हिमाचल प्रदेश सरकार।

प्रेषित

समस्त प्रधान, ग्राम पंचायत,
हिमाचल प्रदेश।

शिमला–171 009, दिनांक 14 दिसम्बर, 2011

विषयः भांग/ पोस्त (Poppy) इत्यादि मादक द्रव्य के निषेध बारे दिशा–निर्देश।

महोदय/महोदया

मुझे आपको सूचित करने के निर्देश हुए है कि राज्य सरकार द्वारा निर्णय लिया गया है कि ग्रामीण लोगों को नशे के दुष्प्रभावों के बारे में जागरूक करने के साथ–साथ मादक पदार्थो जैसे कि भांग व अफीम की खेती को रोकने के बारे ग्राम पंचायतों के माध्यम से अभियान चलाया जाए।

अतः उपरोक्त उद्देश्य की पूर्ति के लिए ग्राम पंचायत अपने क्षेत्र में ऐसे स्थानों की पहचान करेगी जहां पर भांग व अफीम की खेती का प्रचलन है तथा उन्हें नष्ट करने के लिए कारगर कदम भी उठाएगी। इसके लिए ग्राम पंचायतें स्वयं सेवकों के एक दल का गठन करेगी जो कि मादक द्रव्य नियंत्रण ब्यूरो (Narcotic Control Bureau) को मादक द्रव्यों के अवैध व्यापार के बारे में सूचना देने के लिए एक स्त्रोत का काम करेगा और ऐसी सूचना देने के एवज में ब्यूरो स्वयं सेवकों के दल/स्त्रोत व्यक्ति को 10,000 रू0 प्रति व्यक्ति तक इनाम राशि प्रदान करेगा।

अतः आपसे निवेदन है कि आप ग्राम पंचायतों में स्वयं सेवकों के दल का इस प्रयोजन हेतु गठन करने के साथ–साथ ग्राम सभा के माध्यम से ग्राम सभा के सदस्यों को मादक द्रव्यों के दुष्प्रभावों के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए और अभियान चलाने हेतु कारगर कदम उठाए। यह उल्लेख करना भी उचित होगा कि निर्वाचित प्रतिनिधियों का यह दायित्व बनता

है कि वे निजी या सरकारी भूमी पर भांग, अफीम ईत्यादि की खेती, यदि कोई पंचायत क्षेत्र में की जा रही है, की सूचना पुलिस प्रशासन के नजदिकी अधिकारी को प्रदान करके ग्रामीण समाज में नशाबंदी को सुनिश्चित करने में अपना बहुमुल्य योगदान दें।

भवदीय,

विशेष सचिव (पंचायती राज)
हिमाचल प्रदेश सरकार।

पृ0 स0: पी0सी0एच0–एच0ए0(2)5 / 2008–दिशा–निर्देश–शिमला–9, दिनांक 17243-322 14th दिसम्बर, 2011
2011

प्रतिलिपिः–

(1) निजी सचिव, माननीय मुख्य सचिव, हिमाचल प्रदेश सरकार को सूचनार्थ।
(2) सचिव (होम) हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला–2 को सूचनार्थ।
(3) संयुक्त सचिव (ग्रमीण विकास) हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला–9 को सूचनार्थ।
(4) समस्त खण्ड विकास अधिकारी, हिमाचल प्रदेश को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु।

विशेष सचिव (पंचायती राज)
हिमाचल प्रदेश सरकार।